न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 120 / 2018

वादपत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

1/1 शांति पत्नी स्व. बृजलाल
1/2 आत्माराम पुत्र स्व. बृजलाल
1/3 महावीर पुत्र स्व. बृजलाल
1/4 रामकुमार पुत्र स्व. बृजलाल
2/1 कलावती पत्नी स्व. पृथ्वीराज
2/2 राजेन्द्र पुत्र स्व. पृथ्वीराज
2/3 दुलीचंद पुत्र स्व. पृथ्वीराज
2/4 कालूराम पुत्र स्व. पृथ्वीराज
2/5 मंजू पुत्री स्व. पृथ्वीराज
3/1 सुमित्रा देवी पत्नी स्व. रखाराम
3/2 सुनीता पुत्री स्व. रखाराम
3/3 सुमन पुत्री स्व. रखाराम
3/4 रेणु पुत्री स्व. रखाराम
3/5 जसवन्त पुत्र स्व. रखाराम
4. धन्नाराम पुत्र केसराराम
5. इन्द्राज पुत्र केसराराम
6/1 सावित्री पत्नी धर्मचन्द
6/2 रोशनी पुत्री धर्मचन्द
6/3 पिंकी पुत्री धर्मचन्द
6/4 रामकुमार पुत्र धर्मचन्द

समस्त जाति नाई निवासीगण नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. विमला देवी पुत्री केसराराम पत्नी कृष्णलाल जाति नाई साकिन नगराना हाल आबाद गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. उर्मिला देवी पुत्री केसराराम पत्नी श्योपतराम जाति नाई साकिन नगराना हाल, आबाद भाम्भूवाली ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1. श्रीमती परमजीत कौर –वकील वादीगण
2. श्री सुनील टाण्डी–वकील प्रति.सं. 1ता2

निर्णय दिनांक :–

वादीगण बृजलाल वगैरा ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन के तहत दिनांक 16.05.2018 को इस न्यायालय में पेश

16/9
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू विधि से शासित परिवार है। वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता केसराराम पुत्र हरूराम के नाम से संगरिया तहसील के चक नं 11 एस.बी.एन. ज.सं. 2069 2072 के खाता सं 14/10 में 1.671 हिस्सा व चक नं 6 एन.जी.आर. ज.सं. 2068 2071 के खाता सं 23/17 में खाता केसराराम वगैरा में 3.205 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादपत्र की चरण सं 3 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की वंशावली को दर्शाया गया है। प्रतिवादी सं 1 व 2 वादीगण की सगी बहिने है। वादीगण व प्रतिवादीगण को वादपत्र की चरण सं 2 में वर्णित कृषि भूमि उनके पिता स्व. केसराराम पुत्र हरूराम से विरासतन में प्राप्त हुई है। जिनमें वादीगण व प्रतिवादीगण का 1/8 हिस्सा विरासतन जन्मजात हक व हिस्सा बनता है व इसी के अनुसार वादीगण अपनी विरासतन में प्राप्त कृषि भूमि पर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का उक्त कृषि भूमि में जो विरासतन हक व हिस्सा बनता था उसका मौखिक रूप से हक त्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारानामा आपसी सहमति व रिश्तेदारों ने करवा दिया है। उक्त बंटवारानामा के रोज से ही वादीगण व प्रतिवादीगण बंटवारानामा में प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। उक्त कृषि भूमि में इस प्रकार वादीगण को घरू बंटवारानामा में निम्नलिखित कृषि भूमि प्राप्त हुई है :–

वादी सं. 1 बृजलाल के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि :–

चक नं. 6 एन.जी.आर. के खाता सं. 23/17 निम्नलिखित कृषि भूमि ब.हि.ब. हक व हिस्सा में आई है :–

चक नं.	खाता सं.	रकबा
6 एन.जी.आर.	27/17	0.534 है.

वादी सं. 2 पृथ्वीराज, 3 रखाराम, 4 धन्नाराम, 5 इन्द्राज, 6 धर्मपाल पि0 केसराराम के हक हिस्सा में आई कृषि भूमि ब.हि.ब. :–

चक नं.	खाता सं.	रकबा
6 एन.जी.आर.	27/17	2.671 है.
11 एस.बी.एन.	14/10	1.671 है.

वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि जिसमें उनका विरासतन हक व हिस्सा है। जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपस में घरू बंटवारानामा कर लिया है, उक्त बंटवारानामा के अनुसार ही वादीगण वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। परन्तु उक्त कृषि भूमि वादीगण व. प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता केसराराम के नाम होने के कारण वादीगण के हक व हकूक पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा सदैव झगडा होने का अन्देशा बना रहता है, इसी कारण वादीगण उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की घोषणा करवाना चाहते है। वादीगण को उक्त कृषि भूमि अपने पिता केसराराम से विरासतन में प्राप्त हुई थी, जिसमं वादीगण का जन्मजात हिस्सा बनता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य घरू बंटवारानामा हो चुका है व उसी मुताबिक वादीगण काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम होने के कारण वादीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वादीगण अपने नाम की घोषणा करवाने के हक मुस्त हक व दावेदार है।

16/9
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित तथ्य अनुसार कृषि भूमि का खतेदार कास्तकार घोषित करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे एवं पिछले सप्ताह ऐसा करने से कत्तई इन्कार कर दिया, बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि वादीगण सं. 1 ता 3 व 6 फौत हो चुके है इनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जावे। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा कोई विरोध दर्ज नही करवाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। संशोधित शीर्षक पेश हुआ। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने जरिये अभिभाषक ईकबाल दावा मय जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 3 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा विरासतन साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक नं. 6 एन.जी. आर. खाता सं. 23/17 व चक नं. 11 एस.बी.एन. खाता सं. 14/10 की छायाप्रति पेश की। जमाबन्दी दस्तावेज EXP-1 T0 EXP 2 प्रदर्श हुए। केसराराम, पार्वती, धर्मपाल का मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ। ग्राम पंचायत नगराना द्वारा जारी केसराराम का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश हुआ। साक्ष्य वादी में वादी इन्द्राज का शपथ पत्र अ0 आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश हुआ। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने जरिये अभिभाषक ईकबाल दावा मय जवाबदावा पेश हो चुका है। वादपत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में अभिभाषक प्रतिवादी ने कोई आपत्ति दर्ज नही करवाई। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वादपत्र में वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक नं. 6 एन.जी.आर. खाता सं. 23/17 व चक नं. 11 एस.बी.एन. खाता सं. 14/10 वादीगण एव प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के पिता नाम से दर्ज है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का सहमति का जवाब पेश कर अपना विरासतन हक त्याग कर दिया है। इसलिए तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि विरासतन सम्पति है। जिस पर वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। अतः वाद वाद वादीगण सहमति के जबावदावा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण सहमति के जबावदावा के आधार डिक्री किया जाता है कि वादी सं. 1/1 शांति पत्नी स्व. बृजलाल 1/2 आत्माराम 1/3 महावीर 1/4 रामकुमार पि0 स्व. बृजलाल जाति नाई सा. नगराना के हिस्सा की बहिब कृषि भूमि चक नं. 6 एन.जी.आर. के खाता सं. 23/17

चक नं.	खाता सं.	रकबा
6 एन.जी.आर.	27/17	0.5342 है.

वादीगण सं. 2/1 कलावती पत्नी स्व. पृथ्वीराज 2/2 राजेन्द्र 2/3 दुलीचंद 2/4 कालूराम पि0 पृथ्वीराज 2/5 मंजू पुत्री स्व. पृथ्वीराज

चक नं.	खाता सं.	रकबा
6 एन.जी.आर.	27/17	0.5342 है.
11 एस.बी.एन.	14/10	0.3342 है.

16/9

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादीगण सं. 3/1 सुमित्रा देवी पत्नी स्व. रखाराम 3/2 सुनीता 3/3 सुमन 3/4 रेणु पुत्रियां स्व. रखाराम 3/5 जसवन्त पुत्र स्व. रखाराम

चक नं.	खाता सं.	रकबा
6 एन.जी.आर.	27/17	0.5342 है.
11 एस.बी.एन.	14/10	0.3342 है.

वादी सं. 4 धन्नाराम पुत्र केसराराम का हिस्सा :–

चक नं.	खाता सं.	रकबा
6 एन.जी.आर.	27/17	0.5342 है.
11 एस.बी.एन.	14/10	0.3342 है.

वादी सं. 5. इन्द्राज पि0 केसराराम का हिस्सा :–

चक नं.	खाता सं.	रकबा
6 एन.जी.आर.	27/17	0.5342 है.
11 एस.बी.एन.	14/10	0.3342 है.

वादीगण सं. 6/1 सावित्री पत्नी धर्मचन्द 6/2 रोशनी 6/3 पिंकी पुत्रियां धर्मचन्द 6/4 रामकुमार पुत्र धर्मचन्द जाति नाई साकिन नगराना के हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–

चक नं.	खाता सं.	रकबा
6 एन.जी.आर.	27/17	0.5342 है.
11 एस.बी.एन.	14/10	0.3342 है.

उक्तानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर केसराराम पुत्र हरूराम का नाम उक्त खातो में से कलमजन किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/09/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संभरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 120/2018

1/1 शांति पत्नी स्व. बृजलाल
1/2 आत्माराम पुत्र स्व. बृजलाल
1/3 महावीर पुत्र स्व. बृजलाल
1/4 रामकुमार पुत्र स्व. बृजलाल
2/1 कलावती पत्नी स्व. पृथ्वीराज
2/2 राजेन्द्र पुत्र स्व. पृथ्वीराज
2/3 दुलीचंद पुत्र स्व. पृथ्वीराज
2/4 कालूराम पुत्र स्व. पृथ्वीराज
2/5 मंजू पुत्री स्व. पृथ्वीराज
3/1 सुमित्रा देवी पत्नी स्व. रखाराम
3/2 सुनीता पुत्री स्व. रखाराम
3/3 सुमन पुत्री स्व. रखाराम
3/4 रेणु पुत्री स्व. रखाराम
3/5 जसवन्त पुत्र स्व. रखाराम
4. धन्नाराम पुत्र केसराराम
5. इन्द्राज पुत्र केसराराम
6/1 सावित्री पत्नी धर्मचन्द
6/2 रोशनी पुत्री धर्मचन्द
6/3 पिंकी पुत्री धर्मचन्द
6/4 रामकुमार पुत्र धर्मचन्द

समस्त जाति नाई निवासीगण नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. विमला देवी पुत्री केसराराम पत्नी कृष्णलाल जाति नाई साकिन नगराना हाल आबाद गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. उर्मिला देवी पुत्री केसराराम पत्नी श्योपतराम जाति नाई साकिन नगराना हाल आबाद भाम्भूवाली ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :–

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्रीमती परमजीत कौर वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री सुनील टान्डी वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वादी सं. 1/1 शांति पत्नी स्व. बृजलाल 1/2

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

आत्माराम 1/3 महावीर 1/4 रामकुमार पि0 स्व. बृजलाल जाति नाई सा. नगराना के हिस्सा की बहिब कृषि भूमि चक नं. 6 एन.जी.आर. के खाता सं. 23/17

चक नं.	खाता सं.	रकबा
6 एन.जी.आर.	27/17	0.5342 है.

वादीगण सं. 2/1 कलावती पत्नी स्व. पृथ्वीराज 2/2 राजेन्द्र 2/3 दुलीचंद 2/4 कालूराम पि0 पृथ्वीराज 2/5 मंजू पुत्री स्व. पृथ्वीराज

चक नं.	खाता सं.	रकबा
6 एन.जी.आर.	27/17	0.5342 है.
11 एस.बी.एन.	14/10	0.3342 है.

वादीगण सं. 3/1 सुमित्रा देवी पत्नी स्व. रखाराम 3/2 सुनीता 3/3 सुमन 3/4 रेणु पुत्रियां स्व. रखाराम 3/5 जसवन्त पुत्र स्व. रखाराम

चक नं.	खाता सं.	रकबा
6 एन.जी.आर.	27/17	0.5342 है.
12 एस.बी.एन.	14/10	0.3342 है.

वादी सं. 4 धन्नाराम पुत्र केसराराम का हिस्सा :–

चक नं.	खाता सं.	रकबा
6 एन.जी.आर.	27/17	0.5342 है.
11 एस.बी.एन.	14/10	0.3342 है.

वादी सं. 5. इन्द्राज पि0 केसराराम का हिस्सा :–

चक नं.	खाता सं.	रकबा
6 एन.जी.आर.	27/17	0.5342 है.
11 एस.बी.एन.	14/10	0.3342 है.

वादीगण सं. 6/1 सावित्री पत्नी धर्मचन्द 6/2 रोशनी 6/3 पिंकी पुत्रियां धर्मचन्द 6/4 रामकुमार पुत्र धर्मचन्द जाति नाई साकिन नगराना के हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–

चक नं.	खाता सं.	रकबा
6 एन.जी.आर.	27/17	0.5342 है.
11 एस.बी.एन.	14/10	0.3342 है.

उक्तानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर केसराराम पुत्र हरूराम का नाम उक्त खातो में से कलमजन किया जावे।

नोट :–आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...X...निल......X मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X......निल......X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X......को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16/09/22 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया